न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 04/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		अर्जुन प्रजापत पुत्र गोकुल राम जाति प्रजापत निवासी महादेव नगर खोखरिया बनाड जोधपुर। फर्मः– बजरंग स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेंट, बनाड जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 12.06.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी अर्जुन प्रजापत पुत्र गोकुल राम जाति प्रजापत निवासी महादेव नगर, खोखरिया बनाड जोधपुर फर्म बजरंग स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेंट बनाड जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2022 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा बजरंग स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेंट बनाड जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर मौके पर उपस्थित व्यक्ति अर्जुन प्रजापत पुत्र गोकुल राम द्वारा प्रतिष्ठान पर 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों (1 एच.पी व 4 भारत गैस) का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों हेतु किया जाना पाया गया परन्तु उक्त सिलेण्डरों के संबंध में प्रतिष्ठान संचालक द्वारा कोई भी विधिक दस्तावेज व

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी। मौके पर पाए गये 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.	0203805	19.2 कि.ग्रा.	19.4 कि.ग्रा.	0.2 कि.ग्रा.
2.	भारत	0884915	19.1 कि.ग्रा.	20.5 कि.ग्रा.	1.4 कि.ग्रा.
3.	भारत	0123085	19.7 कि.ग्रा.	21.7 कि.ग्रा.	1.0 कि.ग्रा.
4.	भारत	112747 (I)	19.2 कि.ग्रा.	19.6 कि.ग्रा.	0.4 कि.ग्रा.
5.	भारत	2264	19.3 कि.ग्रा.	19.6 कि.ग्रा.	0.3 कि.ग्रा.

उक्त 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री हनुमान विश्नोई पुत्र भल्लाराम विश्नोई मैनेजर मारवाड गैस एजेंसी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का बिना कनैक्शन के अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग बिना वैद्य कनैक्शन के किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त फर्म पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नियमानुसार व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा फर्म बजरंग स्वीट होम बनाड जोधपुर के नाम बी.पी.सी.एल कम्पनी से नियमानुसार आवेदन कर कुल 06 व्यवसायिक सिलेण्डर कनैक्शनसुदा प्राप्त किये हुए है, वक्त जांच, दस्तावेज प्रतिष्ठान पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके। कनैक्शनसुदा प्राप्त उक्त 06 सिलेण्डर दिनांक 18.12.2022 को रिफिल करवाकर प्रतिष्ठान पर उपयोग में लिये जा रहे थे। एक सिलेण्डर खाली हो जाने के कारण परिचित से 01 एच.पी. व्यवसायिक सिलेण्डर प्राप्त कर प्रयुक्त किया जा रहा था, साक्ष्य स्वरूप अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फर्म के नाम जारी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

कनैक्शन डायरी तथा दिनांक 18.12.2022 को 06 व्यवसायिक सिलेण्डर भरवाये जाने का विवरण प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए उक्त जब्तसूदा 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों (1 एच.पी. तथा 04 भारत) को राज्यसात नहीं किये जाने हेतु आग्रह किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 05 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (01 एच.पी., 04 भारत) का बिना वैद्य कनैक्शन के व्यवसायिक उपयोग में लिए जाना पाया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कनैक्शन डायरी तथा दिनांक 18.12.2022 को रिफलिंग करवाये जाने के दस्तावेज से जब्तसुदा 04 भारत सिलेण्डर नियमानुसार वैध तरीके से प्राप्त किया जाना सिद्ध होता है, जो कि अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने के कारण जब्त किये गये। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा 01 एच.पी व्यवसायिक सिलेण्डर के संबध में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने के कारण अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर का अवैध रूप से उपयोग किया जाना सिद्व होता है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को राज्यसात करते हुए 04 व्यवसायिक गेस सिलेण्डर (भारत) को रिलीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)